


पोलनेट/बेतार संदेश/फैक्स के माध्यम से

प्रापक:- सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के स्टेशन अधीक्षक/संयुक्त सहायक निदेशक (रांची, लखनऊ और जयपुर केन्द्र को छोड़कर)

प्रेषक - सहायक निदेशक (राजभाषा), स.नि.पु.बेतार मुख्यालय
संख्या- ए.20011/4/2017-हिन्दी, दिनांक 28/08/2019

अति आवश्यक/Most Urgent

मुख्यालय निदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जून 2019 को समाप्त तिमाही बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गयी अनुवर्ती कार्रवाई (.) कृपया इस विषय पर मुख्यालय के दिनांक 22 जुलाई 2019 के पत्र सं. ए. 20011/19 (अ)/2019-हिंदी के पैरा 2 (क) और 2 (घ) पर आपकी तरफ से की गई कार्रवाई की सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है (पत्र निदेशालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है) (.) कृपया इस पत्र को पढ़ने का कष्ट करें (.) अतः अनुरोध है कि सितम्बर 2019 तिमाही की बैठक और हिंदी कार्यशाला जो संदर्भित पत्र के पैरा 2 (क) के अनुसार अगस्त माह के तीसरे सप्ताह से पहले आयोजित की जानी अपेक्षित थी और अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की हिंदी ज्ञान की स्थिति जो पत्र के पैरा 2 (घ) के अनुसार दिनांक 22 अगस्त 2019 तक इस मुख्यालय में अग्रेषित की जानी अपेक्षित थी (जयपुर, रांची, लखनऊ, शिमला और दमन केन्द्र को छोड़कर) अभी तक प्राप्त नहीं हुई है (.) कृपया इसकी सूचना इस मुख्यालय में दिनांक 30 अगस्त 2019 तक अग्रेषित कर दें ताकि सितम्बर 2019 के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में इसकी जानकारी निदेशक महोदय को दी जा सके (.) कृपया अनुपालन सुनिश्चित करें/-


(डॉ. आर. के. सिंह)

सहायक निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि:-

सहायक निदेशक (आई.टी.) : कृपया निदेशालय की वेबसाइट के सर्कुलर भाग पर अपलोड करने हेतु।

19